दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इंनिशिवल्स जज	नम्बर व ता. अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जानकीलाल / गणेश 01/298	
1/5/2019	पुत्र लटूर जाति खटीक नि सोरसन को भूमि ख०नं. 250/188। रकबा 1.67 हे आवंटित हुई है। प्रार्थी ने आवंटित आराजी ख० नं. 262 रकबा 1.65 है जो वर्तमान मे अन्य व्यक्ति गणेशराम पुत्र किशना मेहर के खाते दर्ज है उसे निरस्त कराने हेतु 15(4) का प्रा०पत्र पेश किया है। दोनो व्यक्ति (अप्रार्थी) अलग-अलग जाति के है। अप्रार्थी के आवटन व आराजी का इस प्रकरण से कोई सरोकार नही है। अतः प्रार्थनापत्र धारा 15(4) भू आवटन नियम 1970 निरस्त फरमाया जावे। मैने उभयपक्ष को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया जिससे पाया जाता है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी गणेश पुत्र लटूर जाति खटीक की आराजी ख० नं. 262 रकबा 1.65 हे० ग्राम सोरसन के आवटन को निरस्त कराने हेतु धारा 15(4) के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया है। जबकि जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 के अवलोकन से पाया जाता है कि अप्रार्थी के खाते में ख० नं. 250/188। रकबा 1.67 हे० ग्राम सोरसन दर्ज है। प्रार्थी ने ख० नं. 262 रकबा 1.65 हे० ग्राम सोरसन को निरस्त कराने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है, उक्त आराजी ख० नं. 262 रकबा 1.65 हे० जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में गणेशराम पुत्र किशना जाति मेहर नि. सोरसन के खाते दर्ज है। इस प्रकार स्पष्ट है कि दोनो आवंटी अलग-अलग व्यक्ति एवं जाति के है। अप्रार्थी की आराजी का इस आवटन निरस्तीकरण प्रार्थनापत्र से कोई संबंध नही है। प्रार्थी ने इस्तगासा प्रार्थनापत्र शुद्धहस्त प्रस्तुत नही किया गया है। अतः प्रार्थी का धारा 15(4) भू आवटन निरस्तीकरण प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थी पुनः सही प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तहसील अभिलेख राज्य मे दाखिल हो।	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official